आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सर्टिफिकेट वाद संख्याः–22/2004–05

कृष्णकांत प्रसाद सिंह

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
16.01.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 4450/2019 में दिनांक 18.07.2019 को पारित आदेश के आलोक में दायर है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का न्यायादेश है कि :– It is apparent from reading of the two provisions that requirement of deposit of 40% of the amount would arise only when there will be a determination of the liability under Section 10 of the Act of 1914. At this stage when the petitioner is seeking to challenge the order passed by the Collector whereby, he has remanded the matter for fresh consideration to the certificate officer, the liability has yet not been determined and therefore in the opinion of this Court the revision application could not have been dismissed on this ground alone. As a result, this Court would set aside the impugned order and remit the matter back to the Commissioner, Tirhut Division, Muzaffarpur for fresh consideration of the Revision Case No.22 of 2004. The impugned order dated 22.07.2013 is	

WEB COPY NOT OFFICIAL

accordingly set aside. The Commissioner, Tirhut Division, Muzaffarpur is directed to pass a fresh reasoned order after hearing the parties in accordance with law within a period of 90 days from the date of receipt/production of a copy of this order.

आवेदक को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुना एवं वाद अभिलेख का परिशीलन किया। उल्लेखनीय है कि इस नीलाम पत्र वाद में सुनवाई हेतु यह न्यायालय प्राधिकृत नहीं है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद की सुनवाई कर आदेश पारित किया जा रहा है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा वादी के नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई हेतु नीलाम पत्र पदाधिकारी को मामला हस्तांतरित किया गया था। नीलाम पत्र वाद में सुनवाई के क्रम में जिला निलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा मामले को कालबाधित मानते हुए वाद के गुण दोष पर विचार किये बिना ही वाद को निस्तारित कर दिया गया है, जिसके कारण उक्त स्तर पर नीलाम पत्र की राशि का निर्धारण नहीं हो सका है। राशि का निर्धारण आयुक्त न्यायालय में किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय को इस निदेश के साथ रिमांड किया जाता है कि मामले के गुण दोष पर विचारोपरांत एक माह के अंदर नियामानुकूल आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL